तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5.9.23

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के पिता का नाम कन्हैयालाल विलोपित कर वादी के गोद पिता का नाम रामकुमार अंकित कर राजस्व मे दर्ज कर तदनुसार वादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे रतनलाल मुतबन्ना रामकुमार महाजन जाति चौधरी के नाम दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, राशनकार्ड आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, की फोटो प्रति व खाता संख्या 1495 की जमाबंदी आदि पर मनन किया जिससे जाहिर आया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अत:

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल परवार हल्का माण्डल प्रथम तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1480 मे अंकित आराजी नं. 5856 रकबा 0.1138 हैक्टेयर व आराजी नं. 5857 रकबा 0.3035 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर एवं खाता संख्या [illegible] आराजी नं. 5856/1 रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड वादी के पिता का नाम कन्हैयालाल को विलोपित किया जाकर वादी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के गोद पिता का नाम रामकुमार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर तदनुसार वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे रतनलाल मुतबन्ना रामकुमार महाजन जाति चौधरी अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

दर्ईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री रतनलाल मुतबन्ना रामकुमार महाजन जाति चौधरी निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल जिला-भीलवाड़ा (राज.)

वादी

बनाम

श्री राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 89 मुकदमा नं0 / वर्ष 187/22 निर्णय दिनांक 05.09.23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल रेगर Adv. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा के खाता सं. 1480 मे अंकित आराजी नम्बर 5856 रकबा 0.1138 हेक्टेयर व आराजी नं. 5857 रकबा 0.3035 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा कुल 0.4173 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 1479 मे अंकित आराजी नं. 5856/1 रकबा 0.1644 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के पिता का नाम कन्हैयालाल को विलोपित किया जाकर वादी के गोद पिता का नाम रामकुमार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर तदनुसार वादी का नाम [illegible] रतनलाल मुतबन्ना रामकुमार महाजन [illegible] जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड [illegible] करे।

आज तारीख 05-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:02 IST
Reason: SelfAttested